14/06/2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकलाम पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त हैं मिसल इल्तवा होकर दिनांक – 01/09/2022 को पेश हो।

01/09/22

# निर्णय

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी का कथन है कि उसके द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 91, 209 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसमें उसे सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की पैतृक, सहदायिकी एवं संयुक्त हिन्दु परिवार की खातेदारी भूमि मौजा राऊजी की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 262, 273/263 कुल रकबा 52.07 बीघा भूमि तथा मौजा सरका पार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1161/509 एवं 1162/509 कुल रकबा 54.00 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा जन्म से निहित है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप कर रहे है तथा भूमि का हस्तान्तरण करने पर उतारू है। यदि उक्त भूमि का हस्तान्तरण हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा वाद के निर्णय तक प्रार्थी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने निवेदन किया कि आवेदन में अंकित तथ्यों के प्रति असहमति प्रकट करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी वादग्रस्त अराजी का सह खातेदार है तथा उसके द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करवाया जा रहा है और न ही प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर रहे है। प्रार्थी केवल संदेह मात्र से स्थाई निषेधाज्ञा मांग रहा है, जो अनुचित है। प्रार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनपरान्त न्यायालय को प्रथम दृष्टया इस बात की सन्तुष्टी है

सहायक कलेक्टर
(SDO) बाड़मेर

| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>राजस्व आवेदन संख्या 221/2019 अनवान किस्तुराराम बनाम भानाराम | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|

कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त कब्जा काश्त की पैतृक भूमि है। यदि प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल किया जाता है तथा भूमि का हस्तान्तरण किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा राऊजी की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 262, 273/263 कुल रकबा 52.07 बीघा भूमि तथा मौजा सरका पार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1161/509 एवं 1162/509 कुल रकबा 54.00 बीघा भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 से 05 प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें। मौके व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01/09/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर